स्टाइपेंड संशोधन लागू न होने से नाराज जूडा ने उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद लिया निर्णय

मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल 16 मार्च तक स्थगित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सोमवार को सुबह 9 बजे से हड़ताल रही जो शाम 5 बजे तक चलती रही। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के साथ संयुक्त बैठक के बाद जेडीए ने निर्णय लिया कि अब हड़ताल को 16 मार्च तक स्थगित कर दिया जाए।

जेडीए ने अपने आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि कर दी है। बयान में बताया गया है कि बैठक में जूनियर डॉक्टरों की सभी लंबित मांगों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की गई है।

इससे पहले सोमवार सुबह 9 बजे से हड़ताल रही। इस कारण गांधी मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में पीपीटीसीटी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, फर्टिलिटी क्लिनिक, एएनसी रूम सुमित अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित होती रहीं। सीनियर डॉक्टर के साथ जूनियर डॉक्टर यहां की रिस्पांसिबिलिटी संभालते हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर होने

के कारण मरीज को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। वह सुबह से अपनी बारी के इंतजार में बैठे रहे। मरीज अनवर ने बताया कि वह सुबह से काफी परेशान हैं। पैरों में दर्द है और अन्य बीमारियों के कारण सुबह से इलाज के लिए भटक रहे हैं। वे आगे बोल पाते तब तक गार्ड ने रोक दिया।

टले 20 से ज्यादा ऑपरेशनः गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की एक दिन की हड़ताल से व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुईं। जिसका सबसे बड़ा खामियाजा उन मरीजों को उठाना पड़ा जिनका सोमवार को ऑपरेशन होना था। ऐसे 20 से ज्यादा मरीजों की सर्जरी हड़ताल के कारण टल गई। इसकी पुष्टि हमीदिया अस्पताल के आंकड़े कर रहे हैं। हड़ताल से पहले फुल वर्किंग डे यानी शुक्रवार को कुल 66 सर्जरी हुई थी। जिसमें करीब 30 सिजेरियन डिलीवरी शामिल थी। वहीं, सोमवार को शाम 6 बजे तक सर्जरी का आंकड़ा घट कर सिर्फ 38 रहा है। जिसमें केवल 18 सिजेरियन डिलीवरी शामिल हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सिजेरियन डिलीवरी 24 घंटे चलती हैं। ऐसे में 3 से 4 सिजेरियन डिलीवरी रात तक बढ़ सकती हैं। सीपीआई आधारित स्टाइपेंड संशोधन शासन के आदेश के अनुसार एक अप्रैल 2025 से लागू होना था। यह अब तक लागू नहीं किया है। कई बार निवेदन के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। इससे डॉक्टरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

करीब 8 हजार रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न इस हड़ताल में शामिल रहे। विशेषज्ञों की मानें तो यह सभी किसी मेडिकल कॉलेज की रीढ़ माने जाते हैं। जो ना केवल मेडिकल कॉलेजों का 70 प्रतिशत भार उठाते हैं बल्कि मरीजों के इलाज से लेकर उनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी तक निभाते हैं।

जूडा से डॉ. ब्रिजेंद्र ने कहा था कि मध्य प्रदेश शासन के 7 जून 2021 के आदेश अनुसार, सीपीआई आधारित स्टाइपेंड संशोधन एक अप्रैल 2025 से लागू होना था। इसके बावजूद अब तक न तो संशोधित स्टाइपेंड लागू किया गया है।

12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही के आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल। राजधानी में 12वीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा की सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। मामले में परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।

परिवार के अनुसार छात्रा एक निजी स्कूल में पढ़ती थी। 2 मार्च को परीक्षा देकर घर लौटने के बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि यहां शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने छात्रा को लगभग दो माह की गर्भवती बताया। हालांकि सोनोग्राफी में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर उसे आगे जांच के लिए सुल्तानिया अस्पताल भेज दिया गया।

परिवार का कहना है कि सुल्तानिया अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने छात्रा के पेट में ट्यूमर होने की बात कही। परिजनों का आरोप है कि पहले गर्भवती होने की जानकारी मिलने से छात्रा गहरे मानसिक तनाव में चली गई थी। उसने लोगों से बातचीत कम कर दी थी और मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। इसी दौरान उसकी हालत बिगड़ती गई और सोमवार सुबह करीब 10 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

छात्रा के पिता का कहना है कि अस्पताल की ओर से पुलिस को भी गर्भवती होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी। एमपी नगर थाना उपनिरीक्षक अर्चना तिवारी ने बताया कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार किशोरी का ट्यूमर का इलाज चल रहा था और गर्भावस्था की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

प्रदेश में रतलाम सबसे गर्म, कई शहरों में तापमान 36 डिग्री के पार, तपिश बढ़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश में इस वर्ष मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। महीने के पहले सप्ताह में ही अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है।

मालवा-निमाड़ क्षेत्र के कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़कर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों तक प्रदेश में इसी तरह गर्मी का असर बना रह सकता है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों में तेज धूप और गर्मी का असर देखने को मिला। रंगपंचमी के दिन रतलाम प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा नर्मदापुरम में 38.1 डिग्री, गुना और सागर में 37.4 डिग्री तथा श्योपुर में 37 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रमुख शहरों में उज्जैन में 36.7 डिग्री, ग्वालियर में 36.5 डिग्री, इंदौर में 35.8 डिग्री, भोपाल में 34.8 डिग्री और जबलपुर में 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। प्रदेश के अधिकांश अन्य शहरों में भी पारा 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा।

मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मार्च में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक गर्मी महसूस की जा रही है। अधिकांश शहरों के सामान्य तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके पीछे हवा की दिशा में बदलाव को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। वर्तमान में हवाएं उत्तर-पूर्व की बजाय पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से चल रही हैं, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही हवा में नमी की

मात्रा भी काफी कम है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में आमतौर पर मार्च के दूसरे पखवाड़े के बाद तेज गर्मी का दौर शुरू होता है, लेकिन इस बार महीने की शुरुआत में ही तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि इस वर्ष अप्रैल और मई में लू का असर भी अधिक देखने को मिल सकता है।

सतर्कता और संवेदनशीलता से तालाब से महिला को सुरक्षित बचाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः विदिशा जिले के थाना त्योंदा क्षेत्र में डायल-112 जवानों की त्वरित, साहसिक और संवेदनशील कार्यवाही ने आत्महत्या के प्रयास में तालाब में कूदी एक महिला की जान बचाकर मानवता और कर्तव्यनिष्ठा का सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। समय रहते की गई इस कार्रवाई ने एक अनमोल जीवन को सुरक्षित कर दिया।

सोमवार 9 को मार्च राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम, डायल-112 भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना त्योंदा क्षेत्र में एक महिला तालाब के किनारे बैठी हुई है और किसी अप्रिय घटना की आशंका प्रतीत हो रही है। सूचना मिलते ही त्योंदा थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112एफआरव्ही वाहन को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

डायल-112 स्टाफ आरक्षक राजेंद्र मिश्रा एवं पायलट देवेंद्र कुशवाहा मौके पर पहुँचे और

स्थिति का जायजा लिया। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि पारिवारिक विवाद के चलते अवसादग्रस्त35 वर्षीय महिला आत्महत्या के उद्देश्य से तालाब में कूद गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल-112 जवानों ने बिना समय गंवाए तत्परता और साहस का परिचय देते हुए महिला को सुरक्षित तालाब से बाहर निकाला।

इसके पश्चात जवानों ने महिला को समझाइश देकर मानसिक रूप से शांत किया और पहचान एवं सत्यापन के उपरांत उसे सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द किया। डायल 112हीरोज श्रृंखला के अंतर्गत यह घटना यह संदेश देती है कि मध्यप्रदेश पुलिस केवल कानून व्यवस्था की प्रहरी ही नहीं, बल्कि संकट में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए सदैव संवेदनशील, सजग और समर्पित है।

अवैध अफीम की तीन करोड़ रुपये की 7890 किलोग्राम फसल जब्त

भोपालः मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की खेती और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की है। एक सप्ताह में छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह जिलों में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती पर छापेमारी करते हुए लगभग 7890 किलोग्राम अफीम की फसल जब्त की है, जिसकी बाजार कीमत 3 करोड़ रुपये बताई गई है। संबंधित प्रकरणों में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। छतरपुर जिले के ग्राम उर्दमऊ में पुलिस को सूचना मिली कि खेत में अवैध अफीम की खेती हो रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आधा एकड़ क्षेत्र में डोडा युक्त अफीम के पौधों को जड़ सहित उखाड़कर 1140 किलोग्राम फसल जब्त की, जिसकी कीमत 70 लाख रुपये आंकी गई।

टीकमगढ़ के ग्राम प्रतापपुरा में गेहूं की फसल के बीच अफीम के पौधे पाए गए। पुलिस ने 419.1 किलोग्राम अफीम जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 45 लाख रुपये है। दमोह जिले के ग्राम सुहेला में पुलिस ने लगभग ढाई एकड़ क्षेत्र में अवैध अफीम की फसल पकड़ी। 6331.5 किग्रा फसल जब्त की जिसकी कीमत 1 करोड़ 89 लाख रुपये है। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, संग्रहण, परिवहन और तस्करी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मप्र पुलिस अकादमी में परिवहन उप निरीक्षक बैच का आधारभूत प्रशिक्षण आरंभ

कानून, तकनीक, फायरिंग और प्रायोगिक दक्षता पर रहेगा विशेष फोकस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल में आज परिवहन उप निरीक्षक बैच के 20 प्रशिक्षु अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश उमेश जोगा तथा मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी के उप निदेशक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के सानिध्य में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर परिवहन उप निरीक्षक के लिए आयोजित 90 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को आंतरिक (इनडोर) एवं आउटडोर कक्षाओं के माध्यम से व्यावसायिक दक्षता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही फायरिंग प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर आधारित तकनीकी कक्षाएं भी संचालित की जाएंगी, जिससे प्रशिक्षु अधिकारी आधुनिक पुलिसिंग एवं परिवहन प्रबंधन से संबंधित आवश्यक कौशल प्राप्त कर सकें।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन आयुक्त श्री जोगा ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि परिवहन संबंधी कानूनों की गहन समझ और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कानूनी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी रूप से अपडेट रहने, कार्य के दौरान व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) दृष्टिकोण अपनाने तथा आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के बाद राहत एवं सहायता से संबंधित शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पीड़ितों तक पहुंचाना भी अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी के उपनिदेशक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अकादमी की विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों से प्रशिक्षुओं को अवगत कराया। अंत में उप पुलिस अधीक्षक तिलक राज प्रधान द्वारा आभार व्यक्त किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रश्मि पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति उमठ, परिवहन उपायुक्त किरण शर्मा उपस्थित रहे।

अनियमितता पाए जाने पर विद्युत कनेक्शन किए विच्छेद

भोपालः मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रायसेन वृत्त अंतर्गत पागनेश्वर ग्राम में विद्युत कनेक्शनों की जांच, बकाया वसूली तथा प्री-लिटिगेशन संबंधी कार्यवाही की गई। इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक भोपाल बीबीएस परिहार की मौजूदगी में बिजली कंपनी के अधिकारियों द्वारा कनेक्शन जांच एवं राजस्व वसूली की कार्यवाही की गई। मौके पर कुल 25 विद्युत कनेक्शनों की जांच की गई। जांच में 2 प्रकरण विद्युत चोरी के पाए गए, जिन पर नियमानुसार पंचनामा तैयार कर श्री सोमत लोधी तथा श्री लेखराम लोधी पर कार्यवाही की गई।

बिजली कंपनी के अधिकारियों द्वारा 10,000 रुपए से अधिक बकाया वाले कुल 12 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन नियमानुसार विच्छेदित किए गए। मौके पर समाधान योजना के अंतर्गत 3 उपभोक्ताओं द्वारा कुल 6,612 रुपए की राशि जमा की गई।

प्री-लिटिगेशन के तहत कुल 5 प्रकरणों में कार्यवाही की गई। उपभोक्ता प्रेम सिंह, ताकत सिंह लोधी पर धारा 135 के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनकी घरेलू विद्युत सप्लाई बंद की गई।

हरदा-खंडवा स्टेट हाईवे के पास खेत में लगी भीषण आग

50 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश के हरदा जिले में खिरकिया क्षेत्र के छीपाबड़ गांव में सोमवार को हरदा-खंडवा स्टेट हाईवे के पास एक खेत में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 50 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 1 बजे अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया।घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, छीपाबड़ पुलिस और प्रशासनिक टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। खिरकिया से पहुंची दमकल की गाड़ी द्वारा आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया, जबकि स्थानीय ग्रामीणों ने भी आग पर काबू पाने में सहयोग किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खेत में अचानक आग लगी और तेज हवा के कारण वह तेजी से आसपास की फसल में फैलती चली गई। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बड़ी मात्रा में फसल जल चुकी थी।

घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने तुरंत दूरभाष पर स्थिति का जायजा लिया और एसडीएम को दल-बल के साथ मौके पर भेजकर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक टीम खेतों में पहुंचकर नुकसान का सर्वे कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

करीला धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एवं चौथा मेला अशोकनगर जिले के मां जानकी धाम करीला में रंग पंचमी के अवसर पर तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले के पहले और दूसरे दिन लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं ने माता जानकी के दर्शन किए।

रंग पंचमी की सुबह से ही भीड़ बढ़ने लगी थी। दोपहर तक मेला परिसर पूरी तरह से भर गया। मंदिर की कतारों में भी भक्तों की लंबी लाइनों में माता के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहे। पहाड़ी के ऊपर का पूरा स्थान 24 घंटे जनसैलाब से भरा रहा, सुबह से रात तक चलता है राई नृत्य करीला की पहाड़ी पर रंग पंचमी को सुबह से लेकर अगली सुबह तक राई नृत्य का आयोजन चलता रहा। रात को रोशनी से सजी पहाड़ी और मेले की जगमगाती लाइटें इसकी

सुंदरता बढ़ा रही थीं। रात में सबसे अधिक राई नृत्य हुए, जिसमें पहाड़ी के अलावा नीचे किनारे के खेतों में भी विभिन्न स्थानों पर स्टेज लगाकर उन लोगों ने बधाई राई नृत्य करवाए जिनकी मन्नतें पूरी हुई थीं। प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह मुस्तैद रहे। कलेक्टर साकेत मालवीय, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, एसडीओपी इसरार खान आदि मौजूद रहे।

स्पेशल खबर नरेला क्षेत्र में एक पते पर 30-40 वोटर का आरोप...

मतदाता सूची में गड़बड़ी के दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को सौंपे सबूत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी होने के बाद भोपाल की मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोमवार को राजधानी स्थित भारत निर्वाचन आयोग के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर नरेला विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेज सौंपे और मामले की जांच की मांग की।

दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि नरेला क्षेत्र के कई मकानों के पते पर असामान्य रूप से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं, जबकि वास्तव में वहां इतने लोग रहते ही नहीं हैं। उन्होंने आयोग को तीन मकान मालिकों के शपथपत्र भी सौंपे, जिनमें दावा किया गया है कि जिन घरों में वास्तविक रूप से 6 से 8 लोग रहते हैं, वहां मतदाता सूची में 30 से 40 तक नाम दर्ज हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने करोंद क्षेत्र की रतन कॉलोनी के तीन मकानों का उदाहरण देते हुए कहा कि मकान नंबर 21 के मालिक हमीर सिंह यादव के अनुसार उनके घर में केवल चार मतदाता रहते हैं, जबकि सूची में करीब 40 नाम दर्ज बताए गए हैं। इसी तरह मकान नंबर 10 के मालिक कमलेश कुमार गुप्ता के घर में लगभग आठ मतदाता हैं, लेकिन सूची में 36 नाम दर्ज हैं। वहीं मकान नंबर 2 के

मालिक पोखन लाल साहू के अनुसार उनके घर में सात मतदाता रहते हैं, जबकि सूची में 37 नाम दर्ज बताए गए हैं। मकान मालिकों ने शपथपत्र में कहा है कि जिन लोगों के नाम उनके पते पर दर्ज हैं, वे वहां कभी नहीं रहे और उन्हें उन व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) ने घर-घर जाकर सही तरीके से सत्यापन नहीं किया, जिसके कारण बड़ी संख्या में फर्जी नाम मतदाता सूची में शामिल हो गए। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कर फर्जी नामों को हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि आयोग ने शिकायत और दस्तावेज स्वीकार कर मामले की जांच का आश्वासन दिया है। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और स्थानीय शिकायतकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे।